न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 175/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2013/ 00004)

भजनलाल पुत्र स्व. श्री मानसिंह पुत्र मनफुल सिह जाति मेघवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक
2. गोपीराम पुत्र स्व. आदराम जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजपाल पुत्र श्री आदराम (फौत)
   - 3/1 धापा पत्नी स्व. राजपाल जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर
   - 3/2 विनोद पुत्र स्व. राजपाल जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर
   - 3/3 विजेन्द्र स्व. राजपाल जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर
   - 3/4 चेतना पुत्री स्व. राजपाल जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर
4. मीरा पुत्री स्व. आदराम (फौत)
   - 4/1 मंजू पुत्री मीरा जाति मेधवाल निवासी चिलकणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. तुलसी पुत्री स्व. आदराम निवासी बैरवाल तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
6. सुल्तान पुत्र स्व. लेखू (फौत)
   - 6/1 शांति पत्नी सुल्तान निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   - 6/2 विमला पुत्री सुल्तान पत्नी अमर सिह मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   - 6/3 मूर्ति पुत्री सुल्तान पत्नी हरलाल जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   - 6/4 संतोष पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी राजेन्द्र निवासी कूकड़ थाना तहसील व जिला फतिहाबाद।
   - 6/5 धापू पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी राजेन्द्र जाति मेधवाल निवासी न्योली तहसील व जिला हिसार।
   - 6/6 रोशनी पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी सुलेश निवासी न्योली तहसील व जिला हिसार।
   - 6/7 सुमन पुत्री सुल्तान पत्नी प्रेम कुमार मेधवाल निवासी चुम्बकीया छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू।
7. रामेश्वर पुत्र स्व. मनफूल जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मानसिह पुत्र मनफूल (फौत)
   - 8/1 गुड्डी देवी पत्नी मानसिह जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   - 8/2 सुनीता पुत्री स्व. मानसिह पत्नी रोहिताश कुमार मेधवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला अबोहर (पंजाब)

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8/3 रितु पुत्री स्व. मानसिह पत्नी मैनपाल निवासी रामसरा तहसील व जिला अबोहर, पंजाब

8/4 रविन्द्र पुत्र स्व. मानसिह निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. शिशपाल पुत्र स्व. मनफूल जाति मेधवाल निवासी रामगढ उजलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. सुमित्रा पुत्री मनफूल पत्नी श्री सुरेश कुमार जाति मेधवाल निवासी न्योली तहसील व जिला हिसार।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः	1. श्री गगन मोदी	–	अभिभाषक अपीलांट
उपस्थितः	2. श्री हरिश मदान	–	रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3/1से 3/3, 5, 6/1 से 6/7
उपस्थितः	3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली	–	राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित	4.श्री कौशल आचार्य	–	रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8/1 से 8/4, 9,10

निर्णय **दिनांकः 31–08–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोपीराम ने दिनाक 13.02.2013 को प्रशासन गांव के संग अभियान में शिविर प्रभारी कैम्प रामगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि चक 15 डी.पी.एन.मे खाता सं. 95 में भूमि है। जिसके रिकार्ड में भूमि गैरखातेदारी दर्ज है जबकि पर्चा खतौनी में भूमि खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने का आदेश करे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर ने अपने आदेश दिनांक 21.06.2013 द्वारा पर्चा खतोनी के अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –96 सी.पी.सी मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद के साथ पेश की है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॅार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8/1 से 8/4, 9, 10 के अभिभाषक बहस के दौरान उपस्थित नही हुवे।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि गोपीराम पुत्र आदुराम

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मेघवाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2013 को पेश किया गया कि उसके दादा लेखू वल्द मिश्री जाति चमार निवासी रामगढ उजलवास के नाम चक 15 डी.पी.एन.में संवत् 2029–38 में उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज है, को खातेदार दर्ज की जावे जिस उपखण्ड अधिकारी नोहर ने बिना जांच के गोपीराम क प्रार्थना पत्र पर 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत चक 15 डी.पी.एन. का पत्थर नम्बर 393/441 मुरब्बा नं. 8 की वर्णित भूमि की खातेदारी दी गई जो गलत है। उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियमो के विपरित धारा 136 मे खातेदारी देने का आदेश दिया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट. मे लिपिकीय भूल को रिकॉर्ड मे दुरूस्त किये जाने के आदेश में दुरूस्ती की जा सकती है। खातेदारी के अधिकार नही दिये जा सकते है। इसके लिए नियमित वाद लाने के उपरान्त ही खातेदरी अधिकार दिये जा सकते है। उक्त भूमि अपीलान्ट के दादा मामराज वल्द चेतन व बीझा वल्द मामराज के नाम से खसरा नम्बर 490 में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 के दादा के नाम 15 डी.पी.एन.की कोई भूमि नही है। मौके पर कब्जा आज भी अपीलान्ट का है। मातहत अदालत ने अपीलाटगणो को पक्षकार नही बनाया गया था इसलिए इस तथ्य की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। जानकारी से अपील अन्दर मियाद है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.06.2013 खारिज किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक हरिश मदान ने बहस के दौरान कहा कि गोपीराम के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 कैम्प रामगढ में प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2013 को पेश किया कि चक 15 डी.पी.एन.में खाता सं. 95 में गैरखातेदारी दर्ज है जबकि पर्चा खतौनी में भूमि खातेदारी दर्ज है इसलिए रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का रिपोर्ट ली गई जिसमे बताया गया कि पर्चा खतोनी के मुताबिक खातेदारी दर्ज है। टी आर ए की रिर्पोट भी मगवाई गई जिसमे कोलेनाईजेशन की पर्चा खतोनी मे खातेदारी रकबा दर्ज है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रकबा आवटित नही है। उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश के विरूद्व अपील माननीय न्यायालय में पेश की है। अपीलान्ट द्वारा मूल आदेश जो कोलेनाईजेशन की पर्चा खतौनी में खातेदारी दर्ज है उसके विरूद्व अपील नही की है। भजनलाल

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का विवादित कृषि भूमि से कोई लेना देना नही है। अपीलान्ट ने अपील के पैरा नं. 8 में अपने पिता मामराज के नाम ख. नं. 490 बताई है जिसकी खातेदारी उसे प्राप्त हो चुकी है। अपीलान्ट का हित प्रभावित नही होने से धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अपील मियाद बाहर भी पेश की गई है, जिसका भी संतोषजनक कारण नही दिया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रकरण मे मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जाता हैः–

   1. अपीलान्ट की ओर से धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। न्यायालय के अनुसार मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाना चाहियें मात्र तकनिकी आधार पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नही है, विशेषकर जब प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ हो। अतः अपीलान्ट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।
   2. उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 21.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है आदेश के द्वारा चक 15 डी.पी.एन. के मुरब्बा नं. 393/441 मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 2,3,4,7,8 की कुल 1. 240 हैक्टेयर भूमि खातेदारी लेखू वल्द मिश्री जाति चमार साकिन रामगढ के नाम गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश के विरूद्व पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लेखू द्वारा एक प्रार्थना पत्र गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करवाने का प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट की चक 15 डी.पी.एन की चालू जमाबन्दी के खाता नं. 95 के मुताबिक पं. नं. 393/441 (8) किला नं. 2–3 की 0.506, 4 की 0.228, 7–8 की 0.506 कुल 1.240 हैक्ट. नहरी भूमि लेखू वल्द मिश्री कौम चमार सा. रामगढ गैर खातेदार के

संभागीय आयुक्त

नाम से है चक 15 डी.पी.एन. की मिसल बदोबस्त सम्वत 2029 से 2038 में भी उक्त रकबा गैर खातेदारी दर्ज है। चक 15 डी.पी.एन.की कोलोनाईजेशन विभाग की पर्चा खतौनी के मुताबिक उक्त रकबा खातेदारी दर्ज है। टी आर ए ने प्रश्नाकित भूमि अलाटीयान के विक्रय पंजिका में खाता खुला हुआ नही होने की रिपोर्ट की, तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1544 दिनांक 21.06.2013 के द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि प्रश्नगत भूमि कोलोनाईजेशन द्वारा तैयार पर्चा खतौनी अनुसार खातेदारी है, प्रार्थना पत्र के सलग्न कोलोनाईजेशन विभाग से जारी पर्चा खतोनी का अवलोकन किया गया। पत्थर नं. 393/441 मु. नं. 8 के किला नं. 2,3,4,7,8 की 4 बिधा 18 बिस्वा भूमि लेखू वल्द मिश्री कोम चमार के नाम दर्ज है जिसमे खातेदार शब्द अंकित है ना गैर खातेदार शब्द अंकित है जबकि पटवारी हल्का रामगढ एव तहसीलदार नोहर ने अपनी रिपोर्ट एव पत्र मे उक्त भूमि का लेखू वल्द मिश्री का खातेदार होना अंकित किया है जो कि रिकॉर्ड के पूर्णतया विपरित है। उक्त गलत रिपोर्ट के लिए तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार नोहर के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को अलग से लिखा जावें। धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को दूर किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में लेखू के द्वारा ऐसा दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे वह प्रश्नगत भूमि का खातेदार रहा हो। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया वो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 को निरस्त किया जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31–08–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।